न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

कैम्प कोर्ट – जमालपुर

दावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955

बउनवान जूहरू वगै० बनाम प्रकाश चन्द

मु०नं० 2/53 ता० रज्जू 03.07.2017

–:निर्णयः– दिनांक 03.05.2018

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान–2018 में कैम्प कोर्ट जमालपुर में पेश हुई। वादीगण उप०। वादीगण को सुना। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 936 रकबा 0.29 है० वाके ग्राम महुवा खुर्द तहसील अलवर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। आराजी के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीगण से अप्रार्थी ने उक्त आराजी को 34,00,000 रूपये बीघा के हिसाब से क्रय करने का जरिये इकरारनामा दिनांक 28.11.2012 किया। कुल आराजी को 38,98,775 रूपये में बेचान करने का मुहायदा हुआ जिसके मद्दे अप्रार्थी ने साईपेटे 4,00,000 रूपये दिये तथा शेष रकम व कब्जा दिनांक 20.02.2013 तक अदा किया जाना तय हुआ। लेकिन दिनांक 20.02.2013 तक अप्रार्थी ने बकाया रकम अदा नही की, इकरारनामा की शरायत अनुसार सौदा निरस्त हो गया। फिर भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को जर्ये अधिवक्ता नोटिस दिलाया गया जिसमें अंकित किया कि

दिनांक 04.03.2013 को उपपंजीयक, मालाखेडा के यहां अप्रार्थी उपस्थित होकर बयनामा करा लेवे एवं बकाया रकम अदा कर दे। लेकिन अप्रार्थी उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित नही हुआ। इस प्रकार सौदा निरस्त हो गया। प्रार्थी अब बल पर बिना रकम दिये आराजी पर कब्जा करना चाहता है।

वाद की बहुलता को रोकने के लिए अप्रार्थी को कब्जे काश्त में मजम्मत नही करने तथा जबरन बेदखल नही करने के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थी को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 936 रकबा 0.29 है० वाके ग्राम महुवा खुर्द तहसील अलवर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजम्मत नही करे तथा जबरन बेदखल नही करे।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को लिखाया जाकर मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।

(जावेद अली)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)